

13/01/24

वाद कागें
च मानु नहीं
पाते व
क्या

वकील वादी उपस्थित। इन्होंने जाति
किया कि वे वाद कागें नहीं चलाया जाये
कहा खारिज किया जाये।

वकील वादी को चुना गया। इनके
निवेदन पर यह दावा इसी तरह पर खारिज
किया जाता है। पत्रसली निष्पत्ति से शुद्धादी
जाकर नम्बर से कम से तथा तरीक
तकमिल होकर खारिज कर दे।